



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2011/पौष 28, 1932

No. 89]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2011/PAUSA 28, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2011

का.आ. 99(अ).—केन्द्र सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2606(अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उपरोक्त अधिसूचना में “धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन इस प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी संघों के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त” शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं. 31, 32 और 33 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्रम सं. 31- डॉ. विनय अग्रवाल,
ए-14-15, पुष्पांजली,
विकास मार्ग एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110092

क्रम सं. 32- प्रौ. वैद्य दीनानाथ उपाध्याय,
साम्याल कम्प्लेक्स, टावर-ए,
प्रथम तल, फ्लैट ई-1, स्टेशन रोड,
भायंदार स्टेशन (प.) के सामने,
जिला-थाणे (महाराष्ट्र)-401101

क्रम सं. 33- डॉ. (श्रीमती) कशिका डोगरा,
81, शहीद ऊधम सिंह नगर,
जालंधर-144001

[फा. सं. यू-16012/02/2010-एसएस-1]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2011

S.O. 99(E).—In pursuance of sub-section (1) of Section 10 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2606(E) dated the 21st October, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 21st October, 2010.

In the said notification under the heading “Appointed by the Central Government under clause (g) of sub-section (1) of Section 10 in consultation with organisations of Medical Practitioners recognised by the Central Government for the purpose” against Sl. Nos. 31, 32 and 33, the following entries shall be substituted, namely :—

Sl. No. 31 - Dr. Vinay Agrawal,
A-14-15, Pushpanjali,
Vikas Marg Extension,
Delhi-110092

Sl. No. 32 - Prof. Vd. Dinanath Upadhyay,
Shamial Complex, Tower A,
1st Floor, Flat E-1, Station Road,
Opp. Bhayandar Station (W),
District Thane (Maharashtra)-401 101

Sl. No. 33 - Dr. (Smt.) Kashika Dogra,
81, Saheed Udhham Singh Nagar,
Jalandhar-144 001.

[F.No. U-16012/02/2010-SS-1]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.